रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2010/चैत्र 17, 1932

No. 83] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2010/CHAITRA 17, 1932

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के विभागों तथा विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं से सूचना)

विनियम, 2010

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2010

एस.ओ. 37-3/विधि/2010.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1992 द्वारा अधिसूचित तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए नियमों का प्रयोग करते हुए अभातशिप निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारम्भ

1.1 इन विनियमों को अभातशिप (तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के विभागों तथा विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं की सूचना एवं निरीक्षण करने संबंधी) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 2 (ज) में परिभाषित तकनीकी संस्थाओं, अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 2 (झ) में परिभाषित विश्वविद्यालयों और वि.अनु.आ. अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं पर लागू होंगे।

1.3 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं

(i) ''विहित'' से अभिप्रेत परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अधीन जारी किसी विनियम/अधिसूचना में ''विहित'' से है;



1261 GI/2010

(ii) ''आयोग'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' अभिप्रेत है;

(iii) ''परिषद्'' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' अभिप्रेत है;

(iv) ''तकनीकी विभाग'' से अभिप्रेत इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबन्धन, भेषजी और अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प और ऐसे ही अन्य कार्यक्रम व क्षेत्रों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित करे, में शिक्षण और/अथवा शोध में लगी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों के शिक्षण और शोध विभाग से है;

(v) ''तकनीकी संस्था'' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रस्थापित करती है और जो विश्वविद्यालय नहीं है तथा इसके अंतर्गत ऐसी अन्य संस्थाएं होंगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तकनीकी संस्थाएं घोषित करे;

(vi) ''विश्वविद्यालय'' से अभातशिप अधिनियम, 1987 की धारा 2 की उप-धारा (झ) में परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

3.

3.1 तकनीकी संस्थाएं व विश्वविद्यालयों के तकनीकी विभाग और मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाएं, परिषद् द्वारा वांछित सूचनाएं, अभातशिप के वेब-पोर्टल यू.आर.एल. www.aicte-india.org पर उपलब्ध प्ररूप में अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरावधि में अपलोड करेंगी ।

3.2 उपरोक्त विनियम 3.1 में उल्लिखित सूचना भी निर्धारित प्ररूप में परिषद् को जमा की जाएगी ।

3.3 ऐसी तकनीकी संस्थाएं, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाएं जो परिषद् द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक, सूचनाएं परिषद् को जमा नही करती हैं, तो वे परिषद् द्वारा दी जाने वाली किसी भी वित्तीय सहायता और किसी अन्य प्रकार की सहायता की अधिकारी नहीं होंगी तथा परिषद् ऐसी व्यतिक्रमी (डिफाल्टिंग) तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के विरुद्ध ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह उपयुक्त और उचित समझे ।

3.4 परिषद् तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालय के तकनीकी विभागों एवं मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने तथा दी जाने वाली तकनीकी शिक्षा का स्तर सुनिश्चित करने के लिए संबंधित तकनीकी संस्थाओं और/अथवा विश्वविद्यालय के तकनीकी विभागों तथा मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं का निरीक्षण कर सकती है ।

3.5 परिषद् ऐसी तकनीकी संस्थाओं और/अथवा विश्वविद्यालयों और/अथवा मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के नाम अपनी अधिकारिक वेब-साइट पर प्रकाशित करेगी, जो परिषद् के विचार से परिषद् द्वारा निर्धारित तकनीकी शिक्षा के स्तर का अनुरक्षण नहीं कर रही हैं और/अथवा तकनीकी शिक्षा के स्तर के अनुरक्षण हेतु परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सन्नियमों/मानकों/नीतियों का अनुपालन नहीं कर रही हैं :

परन्तु यह भी कि, संबंधित संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही उनके नाम प्रकाशित किये जाएंगे।

3.6 परिषद् तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं के संबंध में अपनी संस्तुतिओं सहित, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट, उनके स्तर पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित केन्द्रीय सरकार और/अथवा राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत में संबंधित प्रत्यायन निकाय/ऐजन्सी को भी देगी ।

डॉ. डी. के. पालीवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./162/09]

## ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

**(Information from Technical Institutions, Departments of the Universities and Institutions declared as Deemed to be University and Universities and Institutions declared as Deemed to be University)**

**Regulations, 2010**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2010

**S.O. 37-3/Legal/2010.**—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education (AICTE) Act, 1987 (52 of 1987) and Rules for Inspection of Technical Institutions and Universities notified by the Government of India *vide* Notification dated 10th August, 1992, the AICTE makes the following Regulations, namely:—

**1. Short Title, Application and Commencement**

1.1 These regulations may be called AICTE (Information and Conduct of Inspection of Technical Institutions, Departments of the Universities and Institutions declared as Deemed to be University and Universities and Institutions declared as deemed to be University) Regulations, 2010.

1.2 They shall apply to the technical institutions as defined under Section 2(h) of the AICTE Act, 1987, Universities as defined under Section 2 (i) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 and Institutions declared as Deemed to be University under Section 3 of the U.G.C. Act, 1956.

1.3 They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions**

(i) "Prescribed" means prescribed by the Council in any of its Regulation/Notification issued under the provisions of the AICTE Act, 1987;

(ii) "Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956;

(iii) "Council" means All India Council for Technical Education established under Section 3 of the All India Council for Technical Education Act, 1987;

(iv) "Technical Department" means the teaching and research department of the institution/university engaged in teaching and/or research in engineering technology, architecture, town planning, management, pharmacy and applied arts and crafts and such other programme or areas as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette;

(v) "Technical Institution" means an institution, not being a University which offers courses or programmes of technical education, and shall include such other institutions as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette, declare as technical institutions;

(vi) "University" means a University defined under sub-section (i) of Section 2 of the AICTE Act, 1987.

3.

3.1 The technical institutions and the technical departments of the Universities and institutions declared as Deemed to be University shall upload such information, as desired by the Council, in the format prescribed on the web portal of the Council at URL : www.aicte-india.org. at such an intervals as specified by the Council.

3.2 The information referred to in Regulation 3.1 above may also be submitted to the Council in the prescribed format.

3.3 The technical institutions, universities and institutions declared as Deemed to be University, who shall not submit the information to the Council by the date prescribed by the Council, shall not be entitled for any financial or any other kind of assistance from the Council. Council may take any such action against defaulting technical institutions, universities and institutions Deemed to be University, as it may deem fit and proper.

3.4 The Council may cause an inspection of the technical institutions and technical departments of the universities and institutions declared as Deemed to be University, to verify the information furnished by the technical institution and/or technical departments of the universities and institutions declared as Deemed to be University concerned and to ascertain the standards of technical education.

3.5 The Council shall publish the names of such technical institutions and/or universities and/or institutions declared as Deemed to be University on its official website, who in its opinion are not maintaining the standards of technical education as prescribed by the Council and/or not following the norms/standards/ policies laid down by the Council from time to time for maintaining the standards of the technical education:

Provided that their names shall be published after giving due opportunity to the concerned institution/ university institution declared as Deemed to be University, to explain its position.

3.6 The Council shall also report, its findings along with its recommendations in respect of the technical institutions and universities and institutions declared as Deemed to be University to the Central and/or State Government concerned, the University Grants Commission and the relevant accreditation bodies/ agencies in India for necessary action at their end.

Dr. D. K. PALIWAL, Member Secy.

[ADVT III/4/Exty./162/09]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.